न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38/21	22.03.21	16.01.23

उनवान

1. किशनलाल पुत्र श्री रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर हाल आबाद ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।(मृतक)

1/1. सुनीता पत्नी स्व0श्री परसराम पुत्रवधू स्व0 श्री किशनलाल।

1/2. हरकेश पुत्र स्व0श्री परसराम पोत्र स्व0 श्री किशनलाल।

1/3. रीना पुत्री स्व0श्री परसराम पोत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/4. शर्मिला पुत्री स्व0श्री परसराम पोत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/5. सरजीत पुत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/6. रमेश पुत्री स्व0 श्री किशनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर हाल आबाद ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. शांति पत्नी स्व0 श्री हरिसिंह
2. गजराज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
4. बिशनसिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
5. लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह जातियान अहीर निवासीयान ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय भूमिधारी अधिकारी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज इश्तकरारहकमय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. वादी की ओर से लालाराम वकील।
2. प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

16/1/23

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ़बास (अलवर)

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया आराजी ख0नं0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। आराजी उक्त वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी।

विवादित आराजी ख0नं0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के स्वर्गीय पति व पिता श्री हरिसिंह पुत्र श्री मुखराम की खातेदारी की आराजी थी, जिसके बेचान का सोदा प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 के पिता व पति द्वारा अपने जीवनकाल मे मिन वादी के साथ किया था जिसकी बाबत एक रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.06.1982 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 के स्वर्गीय पति व पिताजी द्वारा तहरीर व तकमील कराया जिस पर ग्वाहन की गवाहीया कराई गई तथा बयनामा को उपपंजियक महोदय किशनगढबास जिला अलवर के कार्यालय में विधिवत पंजीबद्ध करवाया जो बयनामा उपपंजीयक कार्यालय किशनगढबास जिला अलवर के कार्यालय में दिनांक 27.12.1982 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 146 पृष्ठ संख्या 25–26 क्रम संख्या 798 पर पंजीबद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के पति व पिताजी द्वारा बयनामा के वक्त ही मिन वादी को आराजी उक्त पर काबिज करवा दिया था। मिन वादी बयनामा के दिन से ही आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। नकल बयनामा संलग्न वाद–पत्र है।

आराजी विवादित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के पति व पिता की खातेदारी की आराजी थी, जिस आराजी पर प्रतिवादीगण के पति व पिता द्वारा बैंक से लोन लिया हुआ था आराजी विवादित को प्रतिवादीगण के पति व पिता द्वारा बैंक में रहन रखी हुई थी, जिसका ज्ञान मिन वादी को कतई नही था तथा इस बाबत ना ही प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 के पति व पिता ने मिन वादी को बताया था। मिन वादी जो कि एक सीधा सादा ग्रामीण व्यक्ति है जिसने बयनामा के बाद आराजी का इन्तकाल दर्ज कराने हेतु बयनामा को हल्का पटवारी को दे दिया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा इन्तकाल संख्या 528 दर्ज कर दिया गया। जिस समय मिन वादी को ज्ञान हुआ था कि आराजी पर बैंक लोन लिया हुआ है तथा आराजी पर बैंक लोन होने के कारण उक्त इन्तकाल भी खारिज कर दिया गया था तथा इन्तकाल संख्या 528 बयनामा पर दर्ज कर दिया तथा बयनामा पर आराजी बैंक रहन का नोट अंकित कर दिया।

मिन वादी जो कि ग्राम परिवेश का सीधा सादा आदमी है जिसको वक्त बयनामा इस प्रकार का कोई इल्म नही था कि उक्त आराजी बैंक में रहन रखी हुई है तथा आराजी पर बैंक लोन है तथा जब मिन वादी को इस बात का इल्म हुआ तो वादी ने श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास जिला अलवर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र इन्तकाल दर्ज

16/1/23
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

करने के लिए प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब किशनगढबास द्वारा एक
पत्र कमांक भू0अ0/2013/1970 दिनांक 04.10.2013 को जारी किया गया जिसमे इस
आश्य का शपथ–पत्र इस आश्य का प्रस्तुत करने के लिए कहा कि अब कोई वाद किसी
भी न्यायालय मे विचाराधीन नही है तथा कोई स्थगन नही है। जमाबन्दी में आराजी रहन है
इस संबंध में केता विकेता बैंक की राशि चुका कर नोडयूज प्रस्तुत करे। जिस पर मिन
वादी द्वारा एक शपथ–पत्र दिनांक 08.11.2013 को इस बाबत प्रस्तुत किया कि आराजी पर
कोई विवाद नही है। किन्तु इसके बावजूद भी आराजी का इन्तकाल मिन वादी के नाम दर्ज
नही हुआ है तथा आराजी वर्तमान मे बैंक यूको बैंक खैरथल मे रहन रखी हुई है।

आराजी विवादित मिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के पति व पिता से
बेबाक कीमत अदा कर खरीद की हुई है तथा वक्त खरीद के दिन से आराजी विवादित पर
मिन वादी का कब्जा चला आ रहा है, तथा आराजी पर गत फसल भी वादी ने बोई व
काटी है। किन्तु वक्त बयनामा आराजी बैक में रहन होने के कारण आराजी का खरीद का
इन्तकाल मिन वादी के नाम दर्ज नही हो पाया था, मिन वादी जो कि ग्रामीण परिवेश का
सीधा सादा आदमी है जिसको कानून का ज्ञान नही था, जिसके कारण मिन वादी कोई
कार्यवाही नही कर पाया था तथा इसी दौरान प्रतिवादीगण 1 लगा0 5 के पति व पिता
हरिसिंह का देहान्त हो गया, तथा प्रतिवादीगण ने विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज वो
मंजूर करा लिया है।

दिनांक 15.03.2018 प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 5 से मिला और आराजी को बैंक से
फख कराकर अपने नाम खातेदारी का अंकन कराने व राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कराने हेतु
निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने आराजी को फख कराने से इन्कार कर दिया तथा
आराजी को दीगर को रहन,बय आदि से मुन्तकिल करने की ऐलानिया धमकी दी । यदि
प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो वादी को अजहद हानि होगी
जिसकी कीमत किसी भी सुरत मे रूपयो में नही आंकी जा सकेगी। जिसके कारण वादी
प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मईम्तनाई दवामी से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

वाद पत्र मे प्रतिवादी सं0 6 तहसीलदार साहब किशनगढबास को भूमिधारी अधिकारी
होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिनको दावा दायरी से पूर्व दफा 80(2माह)
जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद वादी अरजेन्ट नेचर का होने के
कारण बिना नोटिस पेश किया जा रहा है। वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र 80(2माह) जा0दी0
पेश किया जा रहा है।

डिकी दुरुस्ती इन्द्राज मय इश्तकरारहक बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर
की सादिर पारित की जावे की आराजी ख0नं0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल
किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला
अलवर राजस्थान वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 09.06.1982 को प्रतिवादी
संख्या 1 लगा0 5 के स्वर्गीय पति व पिताजी द्वारा तहरीर व तकमीील कराया जिस पर

16/1/23
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ग्वाहन की गवाहीया कराई तथा बयनामा को उपपंजीयक महोदय किशनगढबास जिला अलवर के कार्यालय में विधिवत पंजीबद्ध करवाया जो बयनामा उपपंजीयक कार्यालय किशनगढबास जिला अलवर के कार्यालय में दिनांक 27.12.1982 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 146 पृष्ठ संख्या 25–26 क्रम संख्या 798 पर पंजीबद्ध किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के पति व पिताजी द्वारा बयनामा के वक्त ही मिन वादी को आराजी उक्त पर काबिज करवा दिया था तथा मिन वादी बयनामा के दिन से ही आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 के पति व पिता द्वारा आराजी पर बैंक से लोन लिया हुआ था जिसके कारण आराजी का खरीद का इन्तकाल वादी के हक मे आज तक दर्ज नही हो पाया है, जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 5 से आराजी का बैंक का लोन फख कराया जाकर नोड्यूज प्राप्त किया जाकर वादी के हक में इन्तकाल दर्ज किया जाकर वादी को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर कागजात माल में दुरूस्ती की जाकर इन्द्राज किये जावे।

डिक्री हुक्मइम्तनाई दवामी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 इस अमर की पारित की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 को जरिये स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी ख0नं0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान को किसी दीगर को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे। वादीगण आराजी से जबरन बेदखल ना करे । वादी के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदालखत पैदा ना करे । कागजात माल मे हो रहे गलत अंकन के कारण आराजी को दीगर को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे। प्रतिवादी संख्या 6 आराजी की बाबत कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नही करे, रिकार्ड में कोई परिवर्तन ना करे। मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाई रखी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही । प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा जवाब सरकार ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे। कोई राज्यहित प्रभावित नही है। जवाब पेश होने पर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई । वादीया ने बतौर साक्ष्य स्वंय का शपथ पत्र पीडब्लू–1,धर्मवीर पुत्र सुलतान जाति अहीर निवासी बासकृपालनगर पीडब्लू–2, हरकेश पुत्र परसराम यादव पीडब्लू–3 पेश किये।

दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1, बयनामा छाया प्रति प्रदर्श–2, दस्तावेजी बयनामा छाया प्रति प्रदर्श–3ए छाया प्रति तहसीलदार किशनगढबास पत्र क्रमांक 1970 दिनांक 4.10.13 बाबत दर्ज करने इंतकाल, प्रदर्श–4 रसीद पो0ओ0 , प्रदर्श–8 डिलिर्वड रिपोर्ट पेश किया है।

16/1/23
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य एवं बयनामा असल दिनांक 27.12. 1982 के अवलोकन से साबित है कि विवादित आराजी वादीया की खरीदशुद्धा कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। दावा वादिया डिकी किया जाना उचित एवं न्यायासंगत प्रतीत होता है।

अतः आदेश है किः—

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा जमाबंदीयात में जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का अमल हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अमल दरामद हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगें। पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

16/1/23

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38/21	22.03.21	16.01.23

उनवान

1. किशनलाल पुत्र श्री रामचन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर हाल आबाद ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।(मृतक)

1/1. सुनीता पत्नी स्व0श्री परसराम पुत्रवधू स्व0 श्री किशनलाल।

1/2. हरकेश पुत्र स्व0श्री परसराम पोत्र स्व0 श्री किशनलाल।

1/3. रीना पुत्री स्व0श्री परसराम पोत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/4. शर्मिला पुत्री स्व0श्री परसराम पोत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/5. सरजीत पुत्री स्व0 श्री किशनलाल।

1/6. रमेश पुत्री स्व0 श्री किशनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम उलाहेडी तहसील मुण्डावर हाल आबाद ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

1. शांति पत्नी स्व0 श्री हरिसिंह
2. गजराज सिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
4. बिशनसिंह पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह
5. लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह जातियान अहीर निवासीयान ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय भूमिधारी अधिकारी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज इश्तकरारहकमय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. वादी की ओर से लालाराम वकील।
2. प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही।

16/01/23

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

<u>पर्चाडिक्री</u>

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एक पक्षीय डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 94 रकबा 0.23हे0 व 96 रकबा 0.39हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6200हे0 वाके ग्राम बासकृपालनगर तहसील किशनगढबास जिला अलवर का वादीगण को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा जमाबंदीयात में जो अमल प्रतिवादीगण के नाम का अमल हो रहा है उसे कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही बाद दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड अमल दरामद हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया

16/01/23
(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)